प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 138/22 दिनांक 24/4/2022

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, 13 (1) (डी), 13 (2) पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 450 समय 6:30 pm
(2) अपराध के घटने का दिन शनिवार दिनांक 23.04.2022 समय 03.45 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 23.04.2022 समय करीब 02:30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – मौखिक
5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग **430** किलोमीटर
(2) पता – ट्रेफिक सिग्नल पॉइन्ट चेटक सर्कल उदयपुर ।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता – (गोपनीय) जरिये मुखबीर
परिवादी
(1) नाम : – श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस निरीक्षक
(2) पिता का नाम : –श्री रूपसिंह जी
(3) आयु : – 51
(4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि.........जारी होने की जगह.................
(6) व्यवसाय : – नौकरी
(7) पता : –169, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों एसयू उदयपुर युआईटी के पास।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री ज्ञानेश्वर जगताप पुत्र श्री जयसिंह जगताप उम्र 40 वर्ष निवासी ए–201, हरिलीला अपार्टमेन्ट प्लॉट नंबर 302 सेक्टर नंबर 06 नेहरू जिला ठाणे, मुंबई महाराष्ट्र हाल सहायक पुलिस निरीक्षक वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र
2 श्री प्रशांत पाटील पुत्र श्री राजाराम पाटील उम्र 34 वर्ष निवासी ए–502 नेस्ले सोसायटी विरार जिला पालघर महाराष्ट्र हाल हैड कानि0 नंबर 7094 वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	497000 रूपये	

आरोपी श्री ज्ञानेश्वर जगताप पुत्र श्री जयसिंह जगताप उम्र 40 वर्ष निवासी ए–201, हरिलीला अपार्टमेन्ट प्लॉट नंबर 302 सेक्टर नंबर 06 नेहरू जिला ठाणे, मुंबई महाराष्ट्र हाल सहायक पुलिस निरीक्षक वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र एवं श्री प्रशांत

पाटील पुत्र श्री राजाराम पाटील उम्र 34 वर्ष निवासी ए–502 नेस्ले सोसायटी विरार जिला पालघर महाराष्ट्र हाल हैड कानि0 नंबर 7094 वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र द्वारा पुलिस थाना अर्नाला जिला पालघर मुंबई महाराष्ट्र पर दर्ज प्रकरण संख्या 275/2018 में श्री दीपक सेठिया नामजद आरोपी नहीं होने के बावजूद उसे अवैध रूप से हिरासत में लेकर गिरफ्तार करनें का भय दिखाकर गिरफ्तार नहीं करनें तथा प्रकरण से नाम हटानें की एवज में अवैध पारितोषण के रूप में 10 लाख रूपयें रिश्वत राशी की मांग कर 497000 रूपयें ग्रहण कर अपनी किराये की टेक्सी में अपनी सीट के नीचे रखना।

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 497000
11. पंचनामा / यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि जरिये मुखबीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू उदयपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मुंबई काईम बांच के एक सहायक पुलिस निरीक्षक एवं उनकी टीम द्वारा काईम ब्रांच में दर्ज प्रकरण में उदयपुर निवासी एक व्यक्ति को अपने कब्जें में लेकर रिश्वती राशी 10 लाख रूपयें के साथ लेकर मुंबई ले जाया जा रहा है पीडित व्यक्ति काईम ब्रांच के सदस्यों के कब्जें में होने से शिकायत दिया जाना संभव नहीं है। काइम ब्रांच मुंबई के सदस्य उक्त व्यक्ति को वाहन संख्या RJ 27 TA 8006 में सवार होकर अंबामाता की तरफ से चेटक की ओर आ रहे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया जाने पर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से जरिये तहरीर दो स्वंतत्र गवाह तलब किया जाने पर श्री नरेश कुमार पटवा एवं श्री हीरा सिंह उपस्थित हुए जिन्हें मुखबीर से प्राप्त सूचना से अवगत करा हमराय लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरों टीम श्री सुरेश कुमार एएसआई, श्री लालसिंह हैड कानि0, श्री भारतसिंह कानि. तथा श्री विनोद कुमार क0सहा0 मय सरकारी वाहन समय करीब 3:30 पीएम पर कार्यालय से रवाना होकर चेटक सर्कल सिंग्नल पर जाकर खडा रहा तभी समय करीब 3:45 पीएम पर चेटक सर्कल सिंग्नल पर अंबामाता की तरफ से एक वाहन प्राईवेट टेक्सी कार टोयाटा इटियोंस बरंग सफेद रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 27 TA 8006 आती हुई नजर आई जो आकर सिंग्नल पर रूकी जिस मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने हाथ के ईशारें से एक तरफ साईड में कराकर रूकवाया गया। तो कार में ड्राईवर के अलावा कुल 04 लोग बैठे हुए थे तो उसमें बैठे दो व्यक्तियों द्वारा स्वयं को मुंबई काईम ब्रांच के अधिकारी होना बताकर वे उग्र हो गये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय पत्र दिखाकर स्वयं एवं हमराहियान का परिचय देकर कॉ–ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना परिचय श्री ज्ञानेश्वर जगताप पुत्र श्री जयसिंह जगताप उम्र 40 वर्ष निवासी ए–201, हरिलीला अपार्टमेन्ट प्लॉट नंबर 302 सेक्टर नंबर 06 नेहरू जिला ठाणे, मुंबई महाराष्ट्र हाल सहायक पुलिस निरीक्षक वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र होना बताया तथा पीछे की सीट पर बैठे तीन व्यक्तियों में एक व्यक्ति ने अपना नाम श्री प्रशांत पाटील पुत्र श्री राजाराम पाटील उम्र 34 वर्ष निवासी ए–502 नेस्ले सोसायटी मीरा भायंदर, जिला पालघर मुंबई महाराष्ट्र हाल हैड कानि0 नंबर 7094 वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र होना बताया। जिस पर पीछे की सीट पर अन्य बैठे दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने घबराते हुए एवं हाथ जोडकर स्वयं का परिचय देते हुए अपना नाम श्री दीपक सेठिया पुत्र स्व0 श्री गणेशलाल जी सेठिया उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नंबर 123, हर्षनगर पुलिस थाना अंबामाता, जिला उदयपुर होना बताकर कहा कि साहब ये मुंबई काईम ब्रांच के अधिकारी है जिन्होंने मुझे दोपहर में मधुबन से जबरन उठाकर इस गाडी में बिठा दिया और कहा कि यदि तू 10 लाख रूपयें की व्यवस्था कर देगा तो तुझे छोड देगे तो मैंने अपने दोस्त श्री भारत रावल को फोन कर कहा की तू रूपयें की व्यवस्था कर जिस पर इसने रूपयें की व्यवस्था की तो कुल 4.97 लाख की ही व्यवस्था हुई जो ईन्होनें लेकर इस गाडी की कॉ–ड्राईवर की सीट के

261

नीचे एक थेली में रखें है। जिस पर कार की कॉ–ड्राईवर की सीट के नीचे देखा तो एक सफेद थेली में कुछ 500–500 रूपयों की गड्डिया नजर आई जिन्हें यथा स्थिति रखा गया। तत्पश्चात श्री दीपक सेठिया ने बताया इन क्राईम ब्रांच के अधिकारियों ने कहा कि हमें पुरे 10 लाख रूपयें चाहिए अगर नहीं दिये तो तूझे गिरफ्तार कर मुंबई ले जायेगे। मैं इनके कब्जें में होने से इनकी शिकायत नहीं कर सका जिस पर पास में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम भारत रावल बताया तथा श्री दीपक सेठिया द्वारा बताये तथ्यों की पुष्टि की। मौके पर ट्रेफिक सिंग्नल होने से अत्यधिक वाहन जमा हो गये जिस पर कार में बैठे ड्राईवर तथा पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति प्रशांत पाटील को उतारकर ब्यूरों के सरकारी बोलेरो में बिठाया गया तथा उक्त प्राईवेट टेक्सी में एक स्वतंत्र गवाह श्री नरेश पटवा को बिठाया गया तथा कानि0 श्री भारतसिंह को प्राईवेट टेक्सी लेकर सरकारी वाहन बोलेरों के पीछे–पीछे ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने हेतु हिदायत देकर वहां से रवाना होकर समय करीब 04:00 पीएम पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल उदयपुर पर उपस्थित हुए। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान एवं श्री ज्ञानेश्वर जगताप, श्री प्रशांत पाटील की उपस्थिति में कार की तलाशी ली गई तो कॉ–ड्राईवर सीट के नीचे एक सफेद थेली में कुछ 500–500 रूपयें के नोटो की गड्डिया होना पाया जाने पर स्वतंत्र गवाह श्री हिरा सिंह से सीट के नीचे की सफेद थेली बाहर निकलवाई जाकर दोनो स्वतंत्र गवाह से गिनवाई तो 500–500 रूपयें के कुल 994 नोट होकर कुल 497000 रूपयें होना पाये गये।

उपर्युक्त बरामद राशी के बारें में श्री ज्ञानेश्वर जगताप एवं श्री प्रशांत पाटील से पुछा कि उक्त श्री दीपक सेठिया से किस बात के रूपयें ग्रहण किये है तो दोनों अपना सिर नीचे झुकाकर खडे हो गये जिस पर पुनः पुछा तो श्री ज्ञानेश्वर जगताप ने कहा कि सर हमने श्री दीपक सेठिया से कोई राशी नहीं ली है और कहनें लगा कि साहब गलती हो गई एक बार हमें छोड दो हमारी नोकरी चली जायेगी। जिस पर श्री प्रशांत पाटील भी हाथ जोडकर कहनें लगा कि साहब एक बार छोड दो हमनें श्री दीपक सेठिया से कोई रिश्वत राशी नहीं ली है। जिस पर पास में खडे श्री दीपक सेठिया ने कहा कि ये झूठ बोल रहे है। आज दोपहर को मैं अपने दो दोस्तों के साथ अपने घर से मधुबन उदयपुर की ओर कार से जा रहा था मैं अपनी कार से मधुबन एसबीआई बैंक के पास पहूँचा तभी इन्होंने अपनी कार हमारी कार के आगे खडी कर दी तथा ये दोनों व्यक्ति आये जिसमें एक ये ज्ञानेश्वर जगताप दूसरें प्रशांत पाटील थे तथा मुझे जबरन मेरी कार में सें खीचकर उनकी कार में बिठाया और सुखाडिया सर्कल उदयपुर की ओर ले गये और कहा कि तेरे खिलाफ क्राईम बांच मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें तु आरोपी है और जल्दी से 10 लाख रूपयें की व्यवस्था करों नहीं तो तुझे गिरफ्तार कर हमारें साथ मुंबई लेकर जायेंगे और जब तक तु रूपयें नहीं देगा तु हमारें कब्जे में रहेगा। तु जल्दी से 10 लाख रूपयें की व्यवस्था के लिए अपने घर वालो को बोल जिस पर मैंनें कहा कि मेरा मोबाईल मेरे दोस्तों की कार में रह गया है तो इन्होंने कहा चलों तुम्हारें दोस्तों के पास लेकर चलो। उसके बाद ये इनकी कार से मुझे वापस मधुबन एसबीआई बैंक की तरफ लेकर गये जहां मेरे दोनों दोस्त श्री राजेन्द्र परमार तथा श्री मन्नालाल जी के पास लेकर गये और मेरे दोस्तों को कहा कि तुम्हारें दोस्त श्री दीपक सेठिया के खिलाफ मुंबई क्राईम ब्रांच में एफआईआर दर्ज है जल्दी से 10 लाख रूपयें की व्यवस्था करों तथा मेरी कार में से मेरे मोबाईल को लेकर श्री ज्ञानेश्वर जी ने अपने पास में रखा तथा वापस इनके साथ इनकी कार में बिठाया और सुखाडिया सर्कल की ओर लेकर गये। सुखाडिया सर्कल पहूँचकर कार रूकवायी व कार के ड्राईवर को कार से बाहर निकलनें को कहा फिर इन्होनें मुझे मेरा फोन देकर कहा कि जिसकों भी फोन करना है फोन कर और बोल कि 10 लाख रूपयें लेकर आ जाये फिर मैंने अपने दोस्त श्री भारत रावल के मोबाईल नंबर पर मेरे मोबाईल से कॉल किया और कहा कि मुझे मुंबई क्राईम ब्रांच ने पकड लिया 10 लाख देने पर ही छोडेगें तु रूपयें की व्यवस्था कर जल्दी से सुखाडिया सर्कल पर आकर मुझे छुडाकर ले जा जिस पर मेरे दोस्त ने कहा कि 10 लाख रूपयें तो बहुत बडी राशी है मैं जितने भी रूपयें इकठ्ठे कर सकु कोशिश करता हूँ और सुखाडिया सर्कल पर लेकर आता हुँ। फिर ये मुझे सुखाडिया सर्कल पर लेकर इंतजार करने लगे और कुछ देर बाद मेरा दोस्त श्री भारत रावल उसकी स्कूटी पर एक सफेद थेली में कुछ रूपयें लेकर आया और इन्होंने गिनकर बोला कि ये तो पॉच लाख रूपयें से भी कम है ऐसे तो तूझे नहीं छोड सकते हमे पुरे

10 लाख रूपयें चाहिए। जिस पर इन्होंने मेरे दोस्त श्री भारत रावल की स्कूटी को वही सुखाडिया सर्कल पर रखवाया तथा मेरे दोस्त को भी गाडी में बिठाया तथा सुखाडिया सर्कल से भूपालपुरा मठ के बाहर मेन रोड पर ले गये और बाकी के रूपयें की व्यवस्था करनें को कहा जहां हम काफी देर टेक्सी कार में ही बैठे रहे। तो मैनें कहा कि कुछ रूपयें यदि मेंरी मम्मी के घर हो सकते है वहां से दे सकता हूँ। उसके बाद ये मुझे हर्षनगर, रामपुरा मेरे घर पर लेकर गये जहां मैंने अपने घर पर रूपयें तलाश किये पर घर रूपयें नहीं मिले तो इन्होंनें कहा कि हमे 10 लाख रूपयें दोगें तो ही तुम्हें छोडेंगे नहीं तो मुंबई लेकर जायेगे जहा सडते रहना जेल के अन्दर। मेरे घर से जगताप जीं और इनकी टीम मुझे और मेरे दोस्त को कहीं लेकर जा रहे थे कि चेटक सर्कल सिग्नल पर आपनें हमे रोक लिया। मैं इनके कब्जे होने से मजबुर था जिस कारण शिकायत नहीं कर सका। जिस पर पास में खडे श्री दीपक सेठिया के दोस्त श्री भारत रावल से पुछा तो उसके द्वारा श्री दीपक सेठिया द्वारा बताये गये तथ्यों की अक्षरश पुष्टि की गई।

जिस पर श्री ज्ञानेश्वर जगताप से पुछा तो उसने कहा कि मीरा–भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय मुंबई में श्री दीपक सेठिया के विरूद्ध प्रकरण संख्या 275/2018 जुर्म अन्तर्गत धारा 420 एवं 34 भा.दं.सं. में दर्ज होकर उसमें श्री दीपक सेठिया आरोपी है। मैं प्रकरण संख्या 275/2018 में अनुसंधान अधिकारी हूँ। इस प्रकरण में एक आरोपी श्री मनीष जैन द्वारा धोखाधडी से प्राप्त राशी में सें कुछ राशी निकालकर इस दीपक सेठिया को देना बताया इसलिये हमारें द्वारा दीपक सेठिया को गिरफ्तार किया जाकर मुंबई ले जाया जा रहा था। जिस पर श्री ज्ञानेश्वर जगताप सहायक पुलिस निरीक्षक को स्थानींय थानें में श्री दीपक सेठिया को गिरफ्तार करने से पूर्व एवं बाद में दीं जाने वालीं सूचना के संबंध में पुछा तो वह हाथ जोडकर माफी मांगने लगा। आरोपियों से एफआईआर तथा अनुसंधान पत्रावली के बारें में पुछा तो आरोपी श्री ज्ञानेश्वर जगताप एवं श्री प्रशांत पाटील के द्वारा बताया की हमारी कार में प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली पडी है।

तत्पश्चात कार की तलाशी ली गई तो कार में दो पत्रावली होना पाई गई जिसका अवलोकन किया गया तो प्रकरण संख्या 275/2018 दिनांक 11.10.2018 को पुलिस थाना अर्नाला जिला पालघर मुंबई में परिवादी डॉ0 दर्यल पुत्र श्री रायमांट वैगस द्वारा आरोपी 1 गिता शर्मा 2. डॉ0 श्रीमती मॉरीन जे स्मिथ एवं 3 अलेक्स चार्लस के विरूद्ध दर्ज करवाया जाना पाया गया। प्रकरण में श्री ज्ञानेश्वर जगताप अनुसंधान अधिकारी होकर केस डायरी कमांक 43 दिनांक 15.01.2021 द्वारा प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान सहायक पुलिस निरीक्षक श्री संतोष गुर्जर से सहायक पुलिस निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर जगताप को सुपुर्द किया जाना पाया गया है। जिसमें अंतिम केस डायरी कमांक 85 दिनांक 05.03.2022 कताशुदा होकर आरोपियों के कॉलम में कुल 5 आरोपियों का नाम दर्ज होकर श्री दीपक सेठिया का नाम नहीं होना पाया गया। जिस पर श्री दीपक सेठिया द्वारा स्वयं बताया कि श्री मनीष जैन मेरा वर्ष 2011 से पूर्व मेरे न्यूज चेनल में पार्टनर था और हम दोनों के मध्य न्यूज चेनल को लेकर आपसी मतभेद होने से अलग हो गये थे जो मुझसे रंजीश रखने से मुझे फंसानें की मंशा से उसके द्वारा मेरा झूठा ही नाम लिया गया। जिस पर प्रकरण संख्या 275/2018 की पत्रावली का अवलोकन किया तो किसी प्रकार की राशी का श्री दीपक सेठिया के खातें अंतरण होना नहीं पाया गया। दिनांक 01.03.2022 को श्री ज्ञानेश्वर जगताप द्वारा संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत पीसी रिमाण्ड प्रार्थना पत्र में वांछित आरोपी में श्री दीपक सेठिया का नाम अंकित किया गया है किन्तु उसी दिन दिनांक 01.03.2022 की केस डायरी कमांक 81 दिनांक 01.03.2022 में श्री दीपक सेठिया के संबंध में वास्तविकता जानने संबंधी अंकन किया गया जिसमें आरोपी के रूप में कोई तथ्य प्रकट होने संबंधी पत्रावली में कोई अंकन नहीं है।

आरोपियों द्वारा किराये पर प्रयुक्त प्राईवेट टेक्सी कार चालक से पुछा तो उसनें अपना नाम श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव पुत्र स्व0 श्री नटवरलाल जीं वैष्णव उम्र 30 वर्ष निवासी मकान नंबर 235, नीमच माता स्कीम देवाली उदयपुर होना बताया तथा टेक्सी कार टोयाटा इटियोंस

रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 27 TA 8006 स्वयं के नाम होकर स्वयं का मालिक होना बताया तथा बताया कि आज सुबह मेरे मोबाईल पर मोबाईल नंबर 9653724589 से लगभग 11:22 एएम पर कॉल आया तथा उदयपुर शहर में काम होने से टेक्सी किरायें पर आवश्यकता होना बताकर मुझे टेक्सी लेकर मल्ला तलाई चौराहे पर बुलाया जिस पर मैं टैक्सी लेकर मल्ला तलाई चौराहें पर गया तो आप द्वारा जो दो व्यक्ति पकडे है इन दोनों व्यक्तियों ने वहां एक गली में गाडी ले जाने को कहा तभी एक कार आई जिसका पीछा करनें के लिए बोला तो मैं उस गाडी का पीछा करनें लगा। वह गाडी मुधबन एसबीआई बैंक के पास आकर रूकी तो मेरी गाडी में सें ये दोनों व्यक्ति उतरकर उस गाडी में गये तथा श्री दीपक सेठिया नाम के एक आदमी को पकडकर इनके साथ बिठाया और सुखाडिया सर्कल पर लेकर गये जहां श्री दीपक सेठिया से उसके मोबाईल के बारें में पुछा तो उसने कहा कि मेरा मोबाईल तो मेरी कार में रह गया जिसके बाद सुखाडिया सर्कल से वापस मुधबन चौराहें पर लेकर गये जहा दीपक सेठिया की कार खडी थी उसमें से दीपक सेठिया का मोबाईल लेकर इन्होंने अपने पास रखा और कार को वापस सुखाडिया सर्कल ले जाने हेतु कहा सुखाडिया सर्कल पहूँचकर मुझे गाडी को छाया में खडी करनें को कहा और गाडी से उतर जाने को कहा। जब मैं गाडी लेकर मधुबन से सुखाडिया सर्कल आ रहा था तब गाडी के अन्दर ये अपने आप को मुंबई क्राईम ब्रांच के अधिकारी बता रहे थे और दीपक सेठिया को धमकाकर कह रहे थे कि हम हवा में बात नहीं कर रहे है हमारें पास तेरे खिलाफ सबूत है हम जो कह रहे है तु कर देगा तो तुझे छोड देंगे। जिसके बाद सुखाडिया सर्कल आने पर मुझे गाडी से उतर जाने के लिये कहा और ये सभी कार में ही बठे रहे। उसके कुछ समय बाद श्री दीपक सेठिया का एक दोस्त स्कूटी लेकर आया जिसने स्कूटी में से एक सफेद थेली निकालकर कार के अंदर बैठा और उसके बाद मुझे बुलाया तथा गाडी लेकर चलने को कहा और कहा कि कहीं छाया दिखे तो वहां रोकना जहां भूपालपुरा मठ के वहा पहूँचकर छाया में मैंने गाडी खडी कर दी और मुझे गाडी से उतार दिया ये सभी गाडी में ही बैठे रहे और लगभग 1 घण्टे के बाद पुनः गाडी लेकर चलने को कहा जहां से रवाना होकर हर्षनगर, रामपुरा की ओर गये जहां श्री दीपक सेठिया के घर गये जहां 05-10 मिनिट रूककर वापस चेटक सर्कल सिग्नल पर पहूचे ही थे कि आपकी टीम ने इन्हें पकड लिया और आपके कार्यालय में लेकर आ गये।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि श्री दीपक सेठिया को आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अपनी हिरासत में लिया गया तथा श्री दीपक सेठिया को अवैध हिरासत में बाहर नहीं जाने देकर उसी स्थिति में रिश्वत राशी की मांग की गई जिससे उसके पास ब्यूरों को शिकायत हेतु कोई विकल्प उपलब्ध नही था और न ही कोई मौका था जिससे कि वह आरोपियों के विरूद्ध सीधे ब्यूरों में शिकायत नहीं कर सका।

प्रकरण संख्या 275/2018 की मूल पत्रावली गुलाबी फाईल कवर पेज संख्या 1 से 554 तक एवं केस डायरी प्लास्टिक कवर में पृष्ठ संख्या 1 से 101 तक मूल ही जब्त की जाकर दोनों पत्रावलियों के प्रथम एवं अंतिम पेज पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इस प्रकार संपूर्ण आकस्मिक चेकिंग से पाया कि दिनांक 23.04.2022 को जरिये मुखबीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू उदयपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मुंबई क्राईम ब्रांच के एक सहायक पुलिस निरीक्षक एवं उनकी टीम द्वारा क्राईम ब्रांच में दर्ज प्रकरण में उदयपुर निवासी एक व्यक्ति को अपने कब्जें में लेकर रिश्वती राशी 10 लाख रूपयें के साथ लेकर मुंबई ले जाया जा रहा है पीडित व्यक्ति क्राईम ब्रांच के सदस्यों के कब्जें में होने से शिकायत दिया जाना संभव नहीं है। क्राइम ब्रांच मुंबई के सदस्य उक्त व्यक्ति को वाहन संख्या RJ 27 TA 8006 में सवार होकर अंबामाता की तरफ से चेटक की ओर आ रहे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम द्वारा चेटक सर्कल पर उक्त वाहन को रूकवाकर चेंकिंग की गई तो उसमें पाई गई राशी 497000 रूपयें के संबंध में उक्त कार में बैठे महाराष्ट्र क्राईम ब्रांच के सहायक पुलिस निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर जगताप एवं हैड कानि० श्री प्रशांत पाटील द्वारा संतोषप्रद जबाव नहीं देने से ब्यूरों द्वारा आकस्मिक चेकिंग संपादित की जाकर पाया गया कि पुलिस थाना अर्नाला जिला पालघर मुंबई महाराष्ट्र पर दर्ज प्रकरण संख्या

29

275/2018 का अनुसंधान श्री ज्ञानेश्वर जगताप सहायक पुलिस निरीक्षक वसई क्राईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र द्वारा किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में उदयपुर निवासी श्री दीपक सेठिया से अनुसंधान अपेक्षित होने से श्री ज्ञानेश्वर जगताप एवं श्री प्रशांत पाटील दिनांक 22.04.2022 की सायंकाल उदयपुर पहूँचें। इसके पश्चात दिनांक 23.04.2022 को श्री ज्ञानेश्वर जगताप वं श्री प्रशांत पाटील एक टेक्सी किराये पर लेकर श्री दीपक सेठिया की कार का पीछा कर मधुबन एसबीआई चौराहें पर रोककर उसमें से श्री दीपक सेठिया को अपनी गाडी में बिठाकर सुखाडिया सर्कल पर ले गये जहा दीपक के मोबाईल के बारें में पुछा तथा दीपक सेठिया स्वयं का मोबाईल मधुबन स्थित कार में रह जाना बतानें पर श्री ज्ञानेश्वर एवं प्रशांत पाटील द्वारा कार को मधुबन ले जाया जाकर दीपक सेठिया की कार से मोबाईल प्राप्त कर अपने पास रखा तथा सुखाडिया सर्कल ले कर गया जहां टेक्सी के ड्राईवर चन्द्रप्रकाश वैष्णव को कार से उतार कर श्री दीपक सेठिया के मोबाईल से उसके मित्र श्री भारत रावल को कॉल करवा 10 लाख रूपयें की व्यवस्था कर सुखाडिया सर्कल पर लेकर आनें को कहा। श्री दीपक सेठिया का मित्र श्री भारत रावल अपनी स्कूटी से रूपयें की व्यवस्था कर सुखाडिया सर्कल पर लेकर आया तो आरोपी श्री ज्ञानेश्वर जगताप एवं श्री प्रशांत पाटील ने राशी के बारें में भारत रावल से पुछा तो उसने 5 लाख रूपयें की व्यवस्था ही होना बताया जिस पर आरोपियों ने श्री भारत रावल को भी गाडी में बैठा दिया और कहा कि हमे पुरे 10 लाख रूपये चाहिए नहीं तो हम दीपक सेठिया को नहीं छोडेगे जिस पर श्री दीपक सेठिया ने व्यवस्था करनें हेतु कहा तो आरोपी श्री ज्ञानेश्वर तथा श्री प्रशांत ने भारत रावल को किराये की टेक्सी में बिठाया और कार के ड्राईवर को आगे चलते रहने हेतु कहा और भूपालपुरा मठ पहूँचनें पर गाडी को एक तरफ छाया में खडी करनें हेतु कहा। ड्राईवर श्री चन्द्र प्रकाश को टैक्सी से उतर जाने हेतु कहा जिसके बाद श्री दीपक सेठिया को अतिरिक्त 5 लाख रूपयें लाकर कुल 10 लाख रूपयें देने पर ही उसे छोडनें हेतु कहा। जिस पर श्री दीपक सेठिया ने घर से रूपयें की व्यवस्था करनें हेतु कहकर उसके घर चलने के लिए कहा तो आरोपी श्री ज्ञानेश्वर एवं श्री प्रशांत उसे तथा उसके मित्र भारत रावल को दीपक के हर्षनगर, रामपुरा उदयपुर स्थित घर पर लेकर गये जहां दीपक ने रूपयें नहीं होना बतानें पर आरोपी श्री ज्ञानेश्वर एवं श्री प्रशांत उसे प्राईवेट टेक्सी से रामपुरा अंबामाता की तरफ से चेटक सर्कल की ओर लेकर जा रहे थे कि चेटक सर्कल सिंग्नल पर ब्यूरों द्वारा उक्त वाहन टोयाटा इटियोंस रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 27 TA 8006 को रोककर तलाशी ली गई तो कॉ–ड्राईवर सींट के नीचे एक सफेद थेली में 500–500 रूपयें की 10–11 गड्डिया दिखी जिसके बारें में कार के अन्दर बैठे श्री ज्ञानेश्वर जगताप एवं श्री प्रशांत पाटील से पुछताछ की तो वे संतोषप्रद जबाव नहीं दे पाये जिस पर उन्हें ब्यूरों के वाहन में बिठाकर किराये की टेक्सी में स्वंतत्र गवाह को बिठाया एवं नोटो की थेली को उसी अवस्था में रखवाकर वहां से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट उदयपुर ले जाकर नियमानुसार स्वंतत्र गवाहों से रूपयें की थेली निकलवाकर गिनवाये गये तो 500–500 के 994 नोट होकर कुल 497000 रूपयें होना पाये गये। श्री दीपक सेठिया से पुछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया कि वह श्री ज्ञानेश्वर जगताप के पास अनुसंधानाधीन प्रकरण संख्या 275/2018 में आरोपी नहीं होकर श्री ज्ञानेश्वर जगताप एवं श्री प्रशांत पाटील द्वारा मुझे जबरन उनकी गाडी में बिठाकर डराया धमकाया गया कि यदि मैं उन्हें 10 लाख रूपयें नहीं दूंगा तो वे मुझे उनके साथ मुंबई ले जाकर आरोपी बना देंगे तथा जब तक 10 लाख रूपयें की व्यवस्था नहीं करूंगा तब तक उनके कब्जें से नहीं छोडेगे। जिस पर दीपक सेठिया ने अपने मित्र श्री भारत रावल से रूपयें की व्यवस्था करवाई किन्तु कुल 497000 रूपयें की व्यवस्था ही होने से आरोपियों द्वारा उसे नहीं छोडने तथा उनके कब्जें में होकर मजबूरी में श्री दीपक सेठिया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में शिकायत नहीं कर सका। आरोपी श्री ज्ञानेश्वर जगताप एवं श्री प्रशांत पाटील द्वारा श्री दीपक सेठियां को गिरफ्तार करनें संबंधी सूचना उसके गृह थानें में नहीं देकर अवैध रूप से हिरासत में रखकर 10 लाख रूपयें की रिश्वत राशी की मांग कर 497000 रूपयें ग्रहण कर किराये की टेक्सी में बैठे आरोपी श्री ज्ञानेश्वर जगताप ने अपनी सीट के नीचे रखें जहां से ब्यूरों द्वारा नियमानुसार रिश्वत राशी 497000 रूपयें बरामद की गई।

आरोपी श्री ज्ञानेश्वर जगताप पुत्र श्री जयसिंह जगताप उम्र 40 वर्ष निवासी ए–201, हरिलीला अपार्टमेन्ट प्लॉट नंबर 302 सेक्टर नंबर 06 नेहरू जिला ठाणे, मुंबई महाराष्ट्र हाल

सहायक पुलिस निरीक्षक वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र एवं श्री प्रशांत पाटील पुत्र श्री राजाराम पाटील उम्र 34 वर्ष निवासी ए–502 नेस्ले सोसायटी विरार जिला पालघर महाराष्ट्र हाल हैड कानि0 नंबर 7094 वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र द्वारा पुलिस थाना अर्नाला जिला पालघर मुंबई महाराष्ट्र पर दर्ज प्रकरण संख्या 275/2018 में श्री दीपक सेठिया नामजद आरोपी नहीं होने के बावजूद उसे अवैध रूप से हिरासत में लेकर गिरफ्तार करनें का भय दिखाकर गिरफ्तार नहीं करनें तथा प्रकरण से नाम हटानें की एवज में अवैध पारितोषण के रूप में 10 लाख रूपयें रिश्वत राशी की मांग कर 497000 रूपयें ग्रहण कर अपनी किराये की टेक्सी में रखे जो स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में आरोपियों से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13 (1) (डी) 13 (2) संशोधित पीसी एक्ट 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपियों को जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार आरोपी श्री ज्ञानेश्वर जगताप पुत्र श्री जयसिंह जगताप उम्र 40 वर्ष निवासी ए–201, हरिलीला अपार्टमेन्ट प्लॉट नंबर 302 सेक्टर नंबर 06 नेहरू जिला ठाणे, मुंबई महाराष्ट्र हाल सहायक पुलिस निरीक्षक वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र एवं श्री प्रशांत पाटील पुत्र श्री राजाराम पाटील उम्र 34 वर्ष निवासी ए–502 नेस्ले सोसायटी विरार जिला पालघर महाराष्ट्र हाल हैड कानि0 नंबर 7094 वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र द्वारा पुलिस थाना अर्नाला जिला पालघर मुंबई महाराष्ट्र पर दर्ज प्रकरण संख्या 275/2018 में श्री दीपक सेठिया नामजद आरोपी नहीं होने के बावजूद उसे अवैध रूप से हिरासत में लेकर गिरफ्तार करनें का भय दिखाकर गिरफ्तार नहीं करनें तथा प्रकरण से नाम हटानें की एवज में अवैध पारितोषण के रूप में 10 लाख रूपयें की मांग कर 497000 रूपयें ग्रहण कर अपनी किराये की टेक्सी में रखे जो स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में आरोपियों से बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13 (1) (डी) 13 (2) संशोधित पीसी एक्ट 2018 में दर्ज किया जाकर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः आरोपीगण श्री ज्ञानेश्वर जगताप पुत्र श्री जयसिंह जगताप उम्र 40 वर्ष निवासी ए–201, हरिलीला अपार्टमेन्ट प्लॉट नंबर 302 सेक्टर नंबर 06 नेहरू जिला ठाणे, मुंबई महाराष्ट्र हाल सहायक पुलिस निरीक्षक वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र एवं श्री प्रशांत पाटील पुत्र श्री राजाराम पाटील उम्र 34 वर्ष निवासी ए–502 नेस्ले सोसायटी विरार जिला पालघर महाराष्ट्र हाल हैड कानि0 नंबर 7094 वसई काईम ब्रांच मुंबई महाराष्ट्र के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13 (1) (डी.), 13 (2) पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है।

भवदीय,

(रतनसिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एसयू उदयपुर

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) 13(2) संशोधित पीसी एक्ट 2018 में आरोपी 1. श्री ज्ञानेश्वर जगताप, सहायक पुलिस निरीक्षक, वसई क्राईम ब्रांच मुंबई, महाराष्ट्र एवं 2. श्री प्रशांत पाटील, हैड कानि. नम्बर 7094, वसई क्राईम ब्रांच मुंबई, महाराष्ट्र के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 138/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1217-21 दिनांक 24.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अपर पुलिस आयुक्त, मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय, जिला पालघर, महाराष्ट्र।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.,उदयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।